प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –182/2023
अनवान : –

1. इन्द्राज पुत्र जुगलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. निराणा राम पुत्र जुगलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. साहबराम पुत्र जुगलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. जुगलाल पुत्र बलुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. चंदो देवी पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. सिलोचना पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
परोकार राज

निर्णय **दिनांकः** 10/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 123/119 की कुल 5.9560 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है। जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से से हक हिस्सा है।

प्रतिवादीगण स0 2 व 3 जो की वादीगण की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग रोही मौजा जबरासर के खाता स0 123/119 के ख0न0 822/3 की 4.6780 हैक्ट भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं ख0न0 664/3 की 1.2780 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 अकेला खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:39 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादीगण का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 व 2 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 व 2 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 123/119 की कुल 5.9560 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 व 2 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 व 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादी की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 123/119 के खसरा न0 822/3 की 4.6780 हैक्ट, खसरा न0 664/3 की 1.2780 हैक्ट कुल 5.9560 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 के साथ खसरा न0 822/3 की 4.6780 हैक्ट भूमि का वादीगणक को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खसरा न0 664/3 की 1.2780 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 के यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमी[illegible]ल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी [illegible] आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे[illegible] खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 1/05/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–..........................

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –182/2023
अनवान : –

1. इन्द्राज पुत्र जुगलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. निराणा राम पुत्र जुगलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. साहबराम पुत्र जुगलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. जुगलाल पुत्र बलुराम जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. चंदो देवी पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. सिलोचना पुत्री जुगलाल जाति मेघवाल निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 182 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर तहसील नोहर के खाता स0 123/119 के खसरा न0 822/3 की 4.6780 हैक्ट, खसरा न0 664/3 की 1.2780 हैक्ट कुल 5.9560 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 के साथ खसरा न0 822/3 की 4.6780 हैक्ट भूमि का वादीगणक को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा खसरा न0 664/3 की 1.2780 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 के यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–..........................

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:15:39 IST
Reason: SelfAttested